शीर्ष प्राथमिकता

प्रेषक,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक : ८-५०/सक/एन०एस०ए०पी०/छ०मा०सत्या०/2007–08, लखनऊ   दिनांक : १२ जुलाई,2007

विषय : वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारियों को सम्बोधित एवं समस्त मण्डलीय संयुक्त/उप निदेशक, समाज कल्याण व आपको पृष्ठांकित निदेशालय पत्रांक 183–185/सक/वृ०पें०यो०/सत्यापन/2007–08, दिनांक 01.05.2007 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा समस्त लाभार्थियों का सघन सत्यापन कराकर मृतक एवं अपात्र लाभार्थियों को चिन्हित करते हुए लाभार्थियों का भुगतान निहित प्रक्रिया से उनके खातों में करने हेतु निर्देशित किया गया था परन्तु इस संबंध में जनपद स्तर से कृत कार्यवाही की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

उल्लेखनीय है कि वृद्धावस्था पेंशन योजना नियमावली के नियम–30(11) के अनुसार जनपद स्तर पर वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना के अन्तर्गत [illegible] लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन वित्तीय वर्ष के तुरन्त पश्चात माह अप्रैल और पुनः माह अक्टूबर में करकर वांछित सत्यापन रिपोर्ट मई एवं नवम्बर की 15वीं तारीख तक भेजी जानी अपेक्षित है परन्तु सत्यापन प्रक्रिया पर प्रायः जनपदों में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है जिससे गम्भीर विसंगतियाँ उत्पन्न हो रही हैं तथा मृतक/लापता एवं बाहर चले गये लाभार्थियों की धनराशि बैंकों के विविध खातों में अनावश्यक रूप से लम्बित पड़ी रहती है। यह एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है तथा इस प्रक्रिया से शासकीय धनराशि का दुरुपयोग भी होता है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि कृपया वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना के अन्तर्गत समस्त लाभार्थियों के जीवित व निराश्रित (संलग्न पात्रता की शर्तों के अनुसार) होने का एक विशेष अभियान के फलस्वरूप सत्यापन करवाकर वांछित सत्यापन रिपोर्ट संलग्न प्रारूप पर अनिवार्य रूप से 15 दिन के भीतर निदेशालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। कृपया कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को भी यथाशीघ्र अवगत करायें।

भवदीय,

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

(एस०के० वर्मा)
निदेशक।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक :–सनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त मण्डलीय संयुक्त/उप निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(एस०के० वर्मा)
निदेशक।